दिनांक: 24-05-2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नांगल, सहारनपुर पुलिस द्वारा मात्र 33 घण्टे में हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए 03 हत्यारोपी अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 चाकू व 01 मोटरसाइकिल बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 23.05.2024 को वादी पिंकी पुत्र सोम सिंह निवासी ग्राम ताजपुर,थाना नागल ने एक लिखित तहरीर बाबत प्रेम प्रसंग के चलते युवती निवासी फतेहपुर के परिजनों/अभियुक्तगण 1. ओमसिहँ 2. ललित 3.पिन्टु 4. सचिन 5.विनिश 6. मोनी समस्त निवासीगण ग्राम फतेहपुर कलाँ थाना नागल सहारनपुर द्वारा वादी के लडके गौरव की गला रेतकर हत्या कर देने के संबंध में थाना नागल पर मु0अ0सं0-120/2024 धारा 147/148/302/34 भादवि पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा उक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर हत्या की घटना का शीघ्र खुलासा करते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश दिए।इसी आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एंव क्षेत्राधिकारी देवबंद के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री ज्ञानेश्वर बोध के कुशल नेतृत्व में दिनांक 24.05.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना नागल पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए मुकदमा उपरोक्त में **प्रकाश में आये** 03 वांछित अभियुक्तगण 1.**मयंक पुत्र सतीश कुमार निवासी गुरूद्वारा के पास कस्बा व थाना नांगल जिला सहारनपुर 2.बिट्टू पुत्र रणजीत सिंह उर्फ बब्लू निवासी खजूरवाला थाना नांगल जिला सहारनपुर 3.बोबी पुत्र मांगेराम निवासी भाटखेडी थाना नांगल जिला सहारनपुर को** ग्राम मीरपुर मोहनपुर के निकट रेलवे पुल के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त मयंक के कब्जे से हत्या मे प्रयुक्त 01 चाकू व 01 मोटरसाइकिल हीरो स्पलैण्डर (UP 11 J 2663) बरामद हुई। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त ने एक स्वर में बताया कि हम तीनो लोग आपस मे दोस्त है। अभियुक्त मयंक ने बताया कि मैं और गौरव तथा एक लडकी निवासी फतेहपुर कलाँ थाना नांगल ने 2022 मे जनता इण्टर कालिज, नागल से इण्टर पास किया था। वर्तमान में मैं और वह लडकी इन्द्रप्रस्थ कॉलेज,नागल से बी0 ए0 प्रथम वर्ष के छात्र हैं तथा गौरव इन्द्रप्रस्थ कॉलेज से पोलिटैक्निक की पढाई कर रहा था। गौरव और उस लडकी का रिस्ता भी तय हो गया था। लेकिन दीपावली के बाद किसी कारणवश उनका रिश्ता टूट गया और दोनो के बीच बोलचाल बन्द हो गयी थी। मैं भी उस लडकी से प्रेम करता था। करीब 15 दिन पहले गौरव और वह लडकी फिर सम्पर्क में आ गये जिस कारण मुझे बहुत गुस्सा आया। इसलिये मैंने अपने साथी बिट्टू को इस बारे में बताया और गौरव से बदला लेने की योजना बनाई। योजना के तहत मै 22.05.2024 की शाम 09.00 बजे गौरव के साथ नैशनल पब्लिक स्कूल के पास से उसकी बाईक पर बैठकर उसके गाँव की और चल दिया। मेरा साथी बिट्टू अपने साथी बोबी को लेकर हमारे पीछे- पीछे अपनी बाइक से आ रहे थे। मैने मोटरसाईकिल पर पीछे से बैठे- बैठे ग्राम ताजपुर की रोड पर गौरव के पेट मे चाकू घोंप दिया । जिससे मोटर साइकिल फिसलकर गिर गयी और गौरव भागने लगा तभी हम तीनों ने गौरव को पकडकर उसके गले को चाकू से काट कर हत्या कर दी थी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पता-

1. मयंक पुत्र सतीश कुमार निवासी गुरूद्वारा के पास कस्बा व थाना नांगल जिला सहारनपुर
2. बिट्टू पुत्र रणजीत सिंह उर्फ बब्लू निवासी खजूरवाला थाना नांगल जिला सहारनपुर
3. बोबी पुत्र मांगेराम निवासी भाटखेडी थाना नांगल जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

- 01 चाकू (घरेलू उपयोग वाला) (घटना में प्रयुक्त)।
- 01 हीरो स्पलैण्डर मोटरसाइकिल UP 11 J 2663 (घटना में प्रयुक्त)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री ज्ञानेश्वर बौद्ध थाना नांगल जिला सहारनपुर
2. निरीक्षक श्री सतपाल भाटी थाना नांगल जिला सहारनपुर
3. व0उ0नि0 श्री ओमेन्द्र सिंह मलिक थाना नांगल जिला सहारनपुर
4. उ0नि0 श्री सचिन त्यागी थाना नांगल सहारनपुर
5. उ0नि0 महेशचन्द थाना नांगल जिला सहारनपुर
6. उ0नि0 असगर अली थाना नांगल जिला सहारनपुर
7. है0 का0 757 सन्नी कुमार थाना नांगल जिला सहारनपुर

दिनांकः 24.05.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मण्डी , सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 छूरी नाजायज बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, अवैध शस्त्रों के कारोबार की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एंव क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नेमचन्द सिहं के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 24.05.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना मण्डी पुलिस टीम द्वारा 01 शातिर अभियुक्त **दानिश पुत्र सलीम निवासी भावसराय छिपियान थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर को** बाल्मीकि मंदिर के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 01 छूरी नाजायज बरामद हई। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना मण्डी जनपद सहारनपुर पर मु0अ0सं0 213/24 धारा 4/25 ARMS ACT पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त दानिश उपरोक्त ने बताया कि जो छुरी पुलिस टीम द्वारा मुझसे बरामद की गयी है उसे मैं आस पास के क्षेत्रों के लोगों को डराने धमकाने के लिये अपने पास रखता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

दानिश पुत्र सलीम निवासी भावसराय छिपियान थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण –

- 01 छूरी नाजायज।

गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 132/2013 धारा 147,323,325,542,504,506 भा0द0वि0 थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 168/2013 धारा 5/8 गौ हत्या निवारण अधिनियम उ0प्र0 थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 359/2010 धारा 269,270 भा0द0वि0 , 3/5/8 गौ हत्या निवारण अधिनियम उ0प्र0 , 435/438 म्यूनिसिपल कोरपोरेशन एक्ट थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 ललित तोमर थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर
2. का0 1460 अंकित पंवार थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक- 24.05.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना ,सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार , कब्जे से 01 चाकू नाजायज बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, अवैध शस्त्रों के कारोबार की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एंव क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 24.05.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा 01 शातिर अभियुक्त **मौ0 राशिद पुत्र खुर्शीद निवासी ग्राम सुचेला देवा थाना चिलकाना सहारनपुर** को प्राईइमरी स्कूल चालाकपुर के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 01 चाकू नाजायज बरामद हुआ। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरूध थाना चिलकाना पर मु0अ0स0 119/2024 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया ।गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त ने बताया कि जो चाकू पुलिस टीम द्वारा मुझसे बरामद किया गया है उसे मैं रोब गालिब करने के लिये अपने पास रखता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

मौ0 राशिद पुत्र खुर्शीद निवासी ग्राम सुचेला देवा थाना चिलकाना सहारनपुर

बरामदगी-

01 चाकू नाजायज ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:

1. उ0नि0 आकाश कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर ।
2. का0 1870 पुनित यादव थाना चिलकाना सहारनपुर ।

-प्रेस नोट-

दिनांक- 24.05.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना ,सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार , कब्जे से 01 चाकू नाजायज बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, अवैध शस्त्रों के कारोबार की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एंव क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 24.05.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा 01 शातिर अभियुक्त **मुर्सलिन पुत्र जहीर निवासी ग्राम दुमझेडा थाना चिलकाना सहारनपुर** को ग्राम दुधगढ के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 01 चाकू नाजायज बरामद हुआ। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरूध थाना चिलकाना पर मु0अ0स0 118/2024 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया ।गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त ने बताया कि जो चाकू पुलिस टीम द्वारा मुझसे बरामद किया गया है उसे मैं रोब गालिब करने के लिये अपने पास रखता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

मुर्सलीन पुत्र जहीर निवासी ग्राम दुमझेडा थाना चिलकाना सहारनपुर।

बरामदगी-

01 चाकू नाजायज।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:

1. उ0नि0 राजेन्द्र गिरी थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
2. है0का0 494 योगेश यादव थाना चिलकाना सहारनपुर।
3. का0 1059 अनुजा राणा थाना चिलकाना सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा ,सहारनपुर पुलिस द्वारा जिला कारागार में निरुद्ध हत्या के प्रयास के 01 अभियुक्त को पुलिस कस्टड़ी रिमांड पर लेकर निशादेही पर घटना में प्रयुक्त 01 तमंचा 315 बोर, 02 जिंदा / 01 खोखा कारतूस 315 बोर बरामद किए

अवगत कराना है कि दिनांक 22.04.2024 को वादिया श्रीमती रीता पत्नी सुधीर कुमार निवासी ग्राम अलीपुरा थाना सरसावा जिला सहारनपुर ने एक लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त युवराज पुत्र संजय निवासी ग्राम अलीपुरा थाना सरसावा जिला सहारनपुर द्वारा वादिया के पति के साथ मारपीट कर, तमन्चे से जान से मारने की नियत से फायर करने के सम्बन्ध मे थाना सरसावा पर मु0अ0सं0 106/24 धारा 307/323/506 भादवि पंजीकृत कराया गया । दिनांक 16.05.2024 को मुकदमा उपरोक्त के वांछित अभिकुत युवराज पुत्र संजय निवासी ग्राम अलीपुरा थाना सरसावा जिला सहारनपुर ने माननीय न्यायालय सहारनपुर के समक्ष आत्मसमर्पण किया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा संज्ञान लेकर आत्मसम्पर्ण किये गये अभियुक्तो से घटना में प्रयुक्त अवैध अस्लहों की बरामदगी के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एंव क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री सत्येन्द्र कुमार राय के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 24.05.2024 को थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त के अभियुक्त **युवराज पुत्र संजय निवासी ग्राम अलीपुरा थाना सरसावा जिला सहारनपुर को** पुलिस कस्टडी रिमाण्ड पर लेकर उसकी निशांदेही पर ग्राम अलीपुरा से ननवाखेड़ी की ओर पुल की तरफ जाने वाले रास्ते पर पापुलर के बाग से घटना मे प्रयुक्त 01 तमंचा 315 बोर व 02 जिन्दा / 01 खोखा कारतूस 315 बोर बरामद किए। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा ।

पुलिस कस्टडी रिमाण्ड पर लाये गये अभियुक्त उपरोक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं कम पढा लिखा हूँ व नशा करने का आदि हूँ। दिनांक 21/22.04.2024 की रात्रि को मैं और मेरा दोस्त अक्षय उर्फ शुभम पुत्र ब्रिजेश निवासी ग्राम काजीपुरा थाना सरसावा सहारनपुर शराब पीकर गाँव में घूम रहे थे। रात के समय हम दोनो सुधीर के घर उसके लडके पुष्पेन्द्र को बुलाने के लिए गये हुए थे सुधीर ने अपने लडके को हमारे साथ भेजने को मना कर दिया था। इसी बात को लेकर हमारी सुधीर से कहासुनी हुयी थी। सुधीर ने इसी बात पर गाँव में हमारी शिकायत कर पुलिस बुला ली थी पुलिस के चले जाने के बाद फिर वापस मैं और मेरा दोस्त अक्षय दोनो तंमचे लेकर सुधीर के घर के बाहर जाकर सुधीर को धमकी देने लगे तथा सुधीर के बाहर निकलने पर हमने सुधीर के साथ मारपीट की तथा जान से मारने की नीयत से फायरिंग की थी । हम दोनो फायरिंग करके गाँव से भाग गये थे। मैंने ग्राम ननवाखेडी के रास्ते में पडने वाले पोपुलर के बाग में अपना तंमचा व कारतूस घास फूस के नीचे छुपा दिये थे जिसे मैंने आज पुलिस टीम को बरामद करा दिया है।

पुलिस कस्टडी रिमाण्ड पर लाये गए अभियुक्त का नाम व पता-

युवराज पुत्र संजय निवासी ग्राम अलीपुरा थाना सरसावा जिला सहारनपुर

अभियुक्त युवराज उपरोक्त का अपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0स0 -274/22 धारा 323/336/504/506 भादवि थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
2.मु0अ0सं0 188/23 धारा 147/148/323/325/506/ भादवि व 3(1)ध,3(1)द एससी एसटी एक्ट थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।
3.मु0अ0सं0 292/23 धारा 147,148,307,427,504 भादवि व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थामा सरसावा जनपद सहारनपुर।
4.मु0अ0सं0 60/24 धारा 307/427/458/504/506 भादवि व 3/25/27/30 आर्म्स एक्ट थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।
5.मु0अ0सं0 106/24 धारा 307/323/506 भादवि व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।

पुलिस टीम का विवरण -

1.उ0नि0 चन्द्रपाल सिंह थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
2. का0 2312 राजू थाना सरसावा जनपद सहारनपुर